प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनाक 17.05.2023

लूट कारित करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2023 धारा 393 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त विनोद पुत्र बिचऊ उर्फ बच्चाबाबू चौरसिया निवासी रामजानकी नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

घटना का विवरण-

दिनांक 23.03.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा नौका बिहार से पैडलेगंज आते समय अज्ञात मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादिनी का फोन छीनने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिससे सम्बंधित अभियुक्त विनोद पुत्र बिचऊ उर्फ बच्चाबाबू चौरसिया निवासी रामजानकी नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में दिनांक 24.03.2023 को अभियुक्तगण 1. अनिल साहनी पुत्र व्यास मुनि साहनी 2. आनन्द चौहान पुत्र उधौ चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विनोद पुत्र बिचऊ उर्फ बच्चाबाबू चौरसिया निवासी रामजानकी नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 231/2023 धारा 393 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रणधीर कुमार मिश्रा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रामजी गुप्ता चौकी प्रभारी पैडलेगंज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 सुजीत कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 मृदुलकान्त सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर